तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 103/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00007) बअनवान पेमाराम बनाम गोमदराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

पेमाराम

बनाम

गोमदराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 08 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 261/2013 अनवान पूनाराम बनाम मालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प पल्ली प्रथम में रखकर नोन स्पीकिंग आदेश पारित प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण का निस्तारण करते वक्त समस्त तर्कों पर विवेचन किया जाना आवश्यक होता है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा कर रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश

विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 को निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से रोका जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत पल्ली-1 में रखकर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नॉन स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के निष्कर्ष पारित नहीं किय गये है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थना पत्र किस आधार पर खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नॉन-स्पीकिंग, विधि-विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूपर से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2016 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 103/2016(जी.सी.एम.एस. नंबर 2016/00007) बअनवान पेमाराम बनाम गोमदराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए